रामचन्द्र बनाम अर्जुन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	दावा [illegible] 25/2023
10.04.23	पत्रावली पेश हुई । वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील वादी द्वारा दिनांक 06.04.2023 को मिस्ल तलबी प्रार्थना पत्र मय शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र पेश होने पर शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र आज की तारीख पेशी में सुनवाई हेतु नियत किये जाने पर पत्रावली आज की तारीख पेशी में तलब की गई। प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई पर वकील प्रतिवादीगण ने अनापत्ति जाहिर करने पर प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रकरण आगामी तारीख से आज की तारीख पेशी में सुनवाई हेतु नियत किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 9 की ओर से ईकबालिया जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 3, 12 लगायत 23 की सम्मन तामीलों का अवलोकन किया गया । प्रतिवादी संख्या 3, 12 लगायत 23 की सम्मन तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाये दो माह से भी अधिक का समय हो चुका है एवं बावजुद रजिस्टर्ड डाक तामील के भी हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादी संख्या 3, 12 लगायत 23 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। साक्ष्य वादी में पीडब्लु 1 रामचन्द्र , पीडब्लु 2 रणजीत, पीडब्लु 3 गिरधारीलाल, पीडब्लु 4 दुर्गाप्रसाद के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये। वकील वादी ने वादग्रस्त आराजी भूमियों का वादी एवं प्रतिवादी को वादपत्र में अंकित अनुतोष में वर्णित इस्तदुआ अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उनके मध्य मौके पर चले आ रहे बाहमी बंटवारे अनुसार विधिक विभाजन करवाया जाकर अलग अलग बट्टा नम्बर डालकर वादी व प्रतिवादीगण का राजस्व रिकोर्ड अलग बनाया जाकर अलग से लगान कायम करते हुए नक्शे में तरमीम किये बाबत निवेदन करते हुए पत्रावली की आदेशिका पर हस्ताक्षर अंकित किये। जिस पर वकील प्रतिवादीगण द्वारा अपनी सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण में मौके पर चले आ रहे बाहमी बंटवारा अनुसार वादपत्र के अनुतोष अनुसार वादी को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी को अलग से काबिज खातेदार घोषित किये जाने हेतु अपनी सहमति देते हुए पत्रावली की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये। जिस पर उपस्थित वकुलाय, उभय पक्षकारान् की बहस बहुपक्षीय सुनी गई। वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहुपक्षीय बहस एवं सहमति के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक, तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर वादपत्र स्वी[illegible] वादपत्रडिकी किया जाता है। प्रकरण में निर्णय [illegible] शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार [illegible]। पत्रावली फैसल होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.01 11:05:37 IST
Reason: SelfAttested

10/04/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
[illegible]पुर (सीकर)

न्यायालय सहायक कलैक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
24 / 2023	40 / 2023	27.01.2023	10.04.2023

1. रामचन्द पुत्र श्री बंशीधर उम्र 67 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 ।

–वादी–

बनाम

1. अर्जुन पुत्र बनवारी उम्र 38 वर्ष
2. गोपाल पुत्र बनवारी उम्र 40 वर्ष
3. रामसिंह पुत्र बनवारी उम्र 39 वर्ष
4. श्रवणी देवी पत्नि बनवारी उम्र 67 वर्ष
5. रामकरण पुत्र जग्गुराम उम्र 55 वर्ष समस्त जाति जाट (डांगी) निवासी ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 ।
6. धन्नी देवी पत्नि रामकुंवार उम्र 65 वर्ष
7. रामू पुत्र गोमा उम्र 63 वर्ष
8. रामेश्वर पुत्र बंशीधर उम्र 63 वर्ष
9. रामस्वरूप पुत्र बंशीधर उम्र 61 वर्ष समस्त जाति जाट (बोबास्या) केयर आफ बंशी ईट्ट उद्योग दिवराला रोड अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 ।
10. ग्यारसी पुत्री तुलसी पत्नि झूंथा उम्र 65 वर्ष
11. सुरेन्द्र पुत्र तेजाराम माता मोहरा पुत्री तुलसी उम्र 35 वर्ष
12. शांती पत्नी तेजाराम माता मोहरा पुत्री तुलसी उम्र 60 वर्ष
13. सुमन पुत्री तेजाराम माता मोहरा पुत्री तुलसी उम्र 38 वर्ष
14. अनिता पुत्री तेजाराम माता मोहरा पुत्री तुलसी उम्र [illegible] वर्ष
15. सुनिता पुत्री तेजाराम माता मोहरा पुत्री तुलसी उम्र 30 वर्ष
16. विमला पुत्री तेजाराम माता मोहरा पुत्री तुलसी उम्र [illegible] वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.01 11:05:37 IST
Reason: SelfAttested

10/04/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

17. अर्चना पुत्री तेजाराम माता मोहरा पुत्री तुलसी उम्र 28 वर्ष

18. सुलोचना पुत्री तेजांराम माता मोहरा पुत्री तुलसी उम्र 27 वर्ष

19. झिमकी माता मोहरा पुत्री तुलसी उम्र 55 वर्ष

20. केशरी माता मोहरा पुत्री तुलसी उम्र 50 वर्ष

21. सुणी माता मोहरा पुत्री तुलसी उम्र 45 वर्ष

समस्त जाति जाट (बोबास्या) केयर आफ बंशी ईट्ट उघोग , दिवराला रोड अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 ।

22. पटवारी पटवार हल्का अजीतगढ

23. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित:–

श्री विक्रम सिंह बांकावत , एडवाकेट वादी

श्री जितेन्द्र कुमार गौड एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 ता 9

श्री निखिल शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 10 व 11

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 23 की ओर से

वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक, तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1494 रकबा 0.95है0, खसरा नम्बर 1495 रकबा 0.50है0, खसरा नम्बर 1518 रकबा 1.06है0, खसरा नम्बर 1519 रकबा 0.01है0, खसरा नम्बर 1520 रकबा 0.04है0, खसरा नम्बर 1521 रकबा 0.61है0 कुल किता 6 कुल रकबा 3.17है0 अवस्थित तन ग्राम अजीतगढ पटवार हल्का अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 है । जिसके हिस्सा 5/108 भाग की खातेदारी वादी के नाम, हिस्सा 1/16–1/16 की ख[illegible]वादी संख्या 1 ता 4 के नाम , हिस्सा 1/4 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 5 के [illegible]तेदारी प्रतिवादिया संख्या 6 के नाम, हिस्सा 1/6 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 7 के नाम, हि[illegible]ा 5/108–5/108 की खातेदारी प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.01 11:05:37 IST
Reason: SelfAttested

10/04/21
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

संख्या 8 ता 9 के नाम , हिस्सा 1/6 की खातेदारी वादी की दत्तक माता व प्रतिवादी संख्या 10 ता 21 की माता/नानी/पडनानी तुलसी पत्नि झूथा के नाम दर्ज राजस्व रिकोर्ड चली आ रही है । उक्त वर्णित भूमि राजस्व रिकोर्ड में शामलाती चली आ रही है , परन्तु मौके पर वक्त बुजुर्गान के समय से ही उक्त भूमि को काश्त की सहुलियत के हिसाब से बांटकर अलग अलग काबिज काश्त चले आ रहे है । जिसके अनुसार वादी भूमि खसरा नम्बर 1521 रकबा 0.61है0 संपूर्ण व भूमि खसरा नम्बर 1494 की पश्चिमी दिशा की तरफ रकबा 0.0650है0 कुल रकबा 0.6750है0 भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है । इस प्रकार भूमियां का बाहमी बंटवारा पक्षकारान के मध्य हो चुका है तथा सभी पक्षकारान उक्त भूमियों पर बाहमी बंटवारा अनुसार अपने अपने हिस्से आई भूमियों पर काबिज काश्त चले आ रहे । बाहमी बटवारे के समय तैय हुआ था कि जिस भी व्यक्ति के हक में जो भूमि आयेगी उसके अनुसार उनके हक में खातेदारी दर्ज करवाकर एक दुसरे के हक में राजस्व रिकोर्ड दुरस्त करवा देगे तथा बाहमी बंटवारा अनुसार तकास्मा करवाकर राजस्व रिकोर्ड में तन्हा खातेदारी दर्ज करवाकर अपना नाम एक दुसरे की भूमि से हजफ करवा लेगे । उक्त भूमियां मौके पर बंटी हुई है परन्तु खातेदारी शामलाती दर्ज चली आ रही है । यहां उल्लेखनिय है कि उक्त वादग्रस्त भूमि के हिस्सा 1/6 की खातेदारी मृतका तुलसी पत्नि झूथा के नाम दर्ज चली आ रही है । बाहमी बंटवारे अनुसार उक्त तुलसी पत्नि झूथा की खातेदारी भूमि पर वादी ही बतौर खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है । तुलसी के पति का नाम झूथा था, जिसके कोई पुत्र संतान नही थी । इसलिये झूथा वादी के पास ही रहता था तथा झुथा के जीवनकाल में वादी उसके पास गोद पुत्र के समान रहने लगा । उक्त झूथा की मृत्यु के बाद उसके प्रति होने वाले समस्त कियाकर्म, सामाजिक दस्तुर , रिति रिवाज पुत्र के समान वादी ने ही किये । इसके बाद से उनकी पत्नी तुलसी भी वादी के पास ही रहने लगी तथा उनकी मृत्यु के बाद समस्त कियाकर्म , सामाजिक दस्तुर वादी ने ही किये । उक्त झूथा व तुलसी की पुत्रियों के समस्त भात पेज व सामाजिक दस्तुर वादी ही करता चला आ रहा है । अर्सा करीब 40 वर्ष पूर्व हुये बाहमी बंटवारे के समय से ही उक्त झूथा व तुलसी की खातेदारी भूमि पर वादी ही बतौर खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है । प्रतिवादी संख्या 10 ता 21 का इस पर कोई कब्जा काश्त नही रहा है । इस प्रकार वादी कुल हिस्सा 23/108 भूमि पर काबिज काश्त चला आकर उक्त तुलसी पत्नि झूथा का नाम राजस्व रिकोर्ड से हजफ करवाकर हिस्सा 23/108 भाग का काबिज खातेदार उदघोषित करवाने [illegible] अपने हिस्सा 23/108 भूमि का तकास्मा करवाने का विधिक अधिकारी है । वा[illegible] बाहमी बटवारे में अपने अपने हिस्से में आई भूमिया का बटवारा करके [illegible] दुसरे के पक्ष में दुरस्त करवाकर मौका स्थिति के अनुसार बटवारे के लिये कहा तो प्रतिवादीगण ह[illegible] कोई न कोई बहानेबाजी करके शीघ्र ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.01 11:05:37 IST
Reason: SelfAttested

10/04/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

बाहमी बंटवारा अनुसार राजस्व रिकोर्ड दुरस्त करवाने का आश्वासन देते रहे । परन्तु वर्तमान में जमीनों की बढ़ती किमतो को देखकर प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी आ गई है तथा मौका स्थिति व बाहमी बंटवारा अनुसार राजस्व रिकोर्ड दुरस्त करवाने में आना कानी करने लगे है । इसलिये वादी उक्त वादग्रस्त भूमि का बाहमी बंटवारा अनुसार खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाकर उक्त भूमि का स्वयं को काबिज खातेदार उद्घोषित करवाने एवं मौका स्थिति के अनुसार विधिक तकास्मा करवाने का विधिक अधिकारी है तथा उक्त भूमि का बाहमी बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 को अलग अलग काबिज खातेदार उद्घोषित फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है । उक्त वर्णित भूमि मुतनाजा का बाहमी बंटवारा अनुसार खातेदारी दर्ज नही होने एवं मौका स्थिति के अनुसार बंटवारा नहीं होने से वादी को सख्त हकतलफी हैं। भूमि का विभाजन नहीं होने से व प्रतिवादीगण की भूमि मुतनामा में बेजा हरकतों से वादी का भूमि को शामिल में काश्त करना व उपयोग उपभोग करना मुश्किल हो गया हैं। इसलिए उक्त वर्णित भूमि का तकास्मा करवाया जाकर बाहमी बंटवारा अनुसार तन्हा खातेदारी अलग–अलग अंकित किया ज़ाना व उसके मौका स्थिति के अनुसार तकास्मा करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं तथा प्रतिवादीगण को बिना बंटवारे के अविभक्त शामलाती भूमि के किसी भी विशेष भू–भाग पर निर्माण करने, दीगर को बैचान करने या स्वयं का विशिष्ठ भाग पर कब्जा करने का कोई कानूनी हक अधिकार किसी किस्म का नही है। वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1494 रकबा 0.95है0, खसरा नम्बर 1495 रकबा 0.50है0, खसरा नम्बर 1518 रकबा 1.06है0, खसरा नम्बर 1519 रकबा 0.01है0, खसरा नम्बर 1520 रकबा 0.04है0, खसरा नम्बर 1521 रकबा 0.61है0 कुल किता 6 कुल रकबा 3.17है0 अवस्थित तन ग्राम अजीतगढ पटवार हल्का अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 , में से भूमि खसरा नम्बर 1521 रकबा 0.61है0 संपूर्ण व भूमि खसरा नम्बर 1494 की पश्चिमी दिशा की तरफ रकबा 0.0650है0 कुल रकबा 0.6750है0 भूमि का वादी को काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित फरमाया जावे तत्प्रमाणिक असर स्वरूप प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 व तुलसी पत्नि झूथा का नाम राजस्व रिकोर्ड से हजफ फरमाया जावे एवं मौका स्थिति के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के मध्य तकास्मा किया जाकर बाहमी बंटवारा अनुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार अलग अलग काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर अलग अलग खसरा नम्बरान कायम किये जाकर अलग से जमाबंदी जारी करके अलग अलग लग[illegible] किया जावे तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में भी सभी काश्तकारान की अलग अलग [illegible] सभी पक्षकारान का एक दुसरे की भूमि के राजस्व रिकोर्ड में नाम हजफ फरमाया जाकर सभी पक्षकारान को बाहमी बंटवारे में आई भूमि का तन्हा काबिज खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 को ज़रिये स्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.01 11:05:37 IST
Reason: SelfAttested

10/04/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

पाबंद फरमाये जाने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में किया है । दावा वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बंटवारा चाहने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया ।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया । जिस पर प्रतिवादी संख्या 10 व 11 ने मय अधिवक्ता श्री निखिल शर्मा उपस्थित होकर वादी के पक्ष में राजीनामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 ता 9 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र कुमार गौड ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया है तथा वादी के वादपत्र के समर्थन में ईकबालिया जबाबपेश किया । शेष प्रतिवादी संख्या 3, 12 लगायत 21 के सम्मन नोटिस की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाये जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 3, 12 लगायत 21 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । साक्ष्य वादी में गवाहान पीडब्लु 1 रामचन्द , पीडब्लु 2 रणजीत, पीडब्लु 3 गिरधारीलाल, पीडब्लु 4 दुर्गाप्रसाद के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये । प्रकरण में वकील वादी ने वादग्रस्त आराजी भूमियों का वादी एवं प्रतिवादीगण को वादपत्र में अंकित अनुतोष में वर्णित इस्तदुआ अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उनके मध्य मौके पर चले आ रहे बाहमी बंटवारे अनुसार विधिक विभाजन करवाया जाकर अलग अलग बट्टा नम्बर डालकर वादी व प्रतिवादीगण का राजस्व रिकोर्ड अलग बनाया जाकर अलग से लगान कायम करते हुए नक्शे में तरमीम किये बाबत निवेदन करते हुए पत्रावली की आदेशिका पर हस्ताक्षर अंकित किये । जिस पर वकील प्रतिवादीगण द्वारा अपनी सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण में मौके पर चले आ रहे बाहमी बंटवारा अनुसार वादपत्र के अनुतोष अनुसार वादी को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी को अलग से काबिज खातेदार घोषित किये जाने हेतु अपनी सहमति देते हुए पत्रावली की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये है । इस सबंध में वकील वादी ने इकबालिया जबाब दावा व राजीनामा पेश होने तथा वादी के वादपत्र के तथ्यों व अनुतोष के खिलाफ किसी भी पक्षकार का पत्रावली में एतराज नही होने का कथन करते हुए वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया । इस पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान सुनी गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.01 11:05:37 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान द्वारा की गई बहस पर गंभीर मनन किया । पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकोर्ड अंतिम फैसला आधार जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमियो के वादी व प्रतिवादीगण के नाम

10/04/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

वादपत्र में अंकितानुसार राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है । वादी ने भूमि खसरा नम्बर 1521 रकबा 0.61है0 संपूर्ण व भूमि खसरा नम्बर 1494 की पश्चिमी दिशा की तरफ 0.0650है0 कुल 0.6750है0 भूमि पर काबिज काश्त होना जाहिर किया है एवं मृतका तुलसी पत्नी झुथा की खातेदारी भूमि पर भी स्वयं वादी का ही कब्जा काश्त होना जाहिर किया है। जिस बाबत प्रतिवादी संख्या 10 व 11 ने वादी के समर्थन में राजीनामा भी पेश किया है एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 ता 9 की ओर से ईकबालिया जबाब दावा पेश करके वादपत्र के कथनो का समर्थन किया गया है एवं गवाहान के सशपथ लिखित कथनों पीडब्लु 1 रामचन्द्र , पीडब्लु 2 रणजीत, पीडब्लु 3 गिरधारीलाल, पीडब्लु 4 दुर्गाप्रसाद से भी वादी के वादपत्र के कथनों की ताईद होती है । वादपत्र के तथ्यो व अनुतोष के संबंध में प्रकरण में उपस्थित पक्षकारान ने कोई आपत्ति या एतराज पत्रावली में पेश नही किया है । प्रतिवादीगण पक्षकारान ने अपनी सहमति प्रदान करते हुए वादपत्र के तथ्यो व वादपत्र के अनुतोष स्वीकार करते हुए मौके पर चले आ रहे बाहमी बंटवारे अनुसार वादी का विधिक विभाजन करके वादी की अलग अलग खातेदारी व राजस्व रिकोर्ड दर्ज करते हुए वादपत्र डिकी किये जाने की सहमति प्रदान की है । इसके आधार पर वादी अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों व अनुतोष के आधार पर खातेदारी अधिकारों की उदघोषणा करवाकर उनके मध्य हुए बाहमी बंटवारा अनुसार विधिक बंटवारा करवाने का काननून हकदार है । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, प्रतिवादीगण द्वारा वादी के पक्ष में प्रस्तुत ईकबालिया जबाब दावा व राजीनामा , गवाहान के सशपथ कथनों व प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा दी गई लिखित सहमति के आधार वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक, तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वादी का वाद डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

–: कियात्मक आदेश :–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत ईस्तकरार हक , तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1494 रकबा 0.95है0, खसरा नम्बर 1495 रकबा 0.50है0, खसरा नम्बर 1518 रकबा 1.06है0, खसरा नम्बर 1519 रकबा 0.01है0, खसरा नम्बर 1520 रकबा 0.04है0, खसरा नम्बर 1521 रकबा 0.61है0 कुल किता 6 कुल रकबा 3.17है0 स्थित तन ग्राम अजीतगढ पटवार हल्का अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में से भूमि खसरा नम्बर 1521 रकबा 0.61है0 संपूर्ण व भूमि [illegible] 1494 रकबा 0.95है0 की पश्चिमी दिशा की तरफ [illegible]ारी नक्शे में लाल स्याही [illegible] रकबा 0.0650है0 भूमि का वादी को

10/04/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

काबिज खातेदार काश्तकार उदघोषित फरमाया जाता है , फलस्वरूप खसरा नम्बर 1521 रकबा 0.61है0 व भूमि खसरा नम्बर 1494 रकबा 0.95है0 की पश्चिमी दिशा की तरफ नजरी नक्शे में लाल स्याही व ए.बी.सी.डी बिन्दुओ से दर्शित रकबा 0.0650है0 भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 व तुलसी पत्नि झूंथा का नाम राजस्व रिकोर्ड से हजफ किया जाता है एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 1494 रकबा 0.95है0 मे से रकबा 0.885है0 भूमि से, खसरा नम्बर 1495 रकबा 0.50है0, खसरा नम्बर 1518 रकबा 1.06है0, खसरा नम्बर 1519 रकबा 0.01है0, खसरा नम्बर 1520 रकबा 0.04है0 अवस्थित तन ग्राम अजीतगढ पटवार हल्का अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 से वादी व तुलसी पत्नि झूंथा का नाम हजफ फरमाया जाता है तथा उक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 की खातेदारी राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी व राजस्व नक्शे में अलग से नम्बर डालकर अलग से लगान कायम किये जाने की स्वीकृति दी जाती है । उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में दुरस्ती व दर्ज किये जाने हेतु भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिये जाते हैं । इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

10/04/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 10.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/04/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.05.01 11:05:37 IST
Reason: SelfAttested